उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 5 | 1–15 मार्च 2024 | ₹ 20/–

देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का विरोध

- उत्तर प्रदेश में 13 हजार गैरकानूनी मदरसों को बंद करने की सिफारिश
- पाकिस्तान में नई सरकार का गठन
- मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं को मौत की सजा
- उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला के सर्वेक्षण का आदेश

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का विरोध 04
उत्तर प्रदेश में 13 हजार गैरकानूनी मदरसों को बंद करने की सिफारिश 09
उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला के सर्वेक्षण का आदेश 11
बेंगलुरु बम धमाके के पीछे आईएसआईएस का हाथ 13
भारतीय मुस्लिम युवक रूस-यूक्रेन युद्ध में मारा गया 14

विश्व

पाकिस्तान में नई सरकार का गठन 17
भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ संबंधों में सुधार का प्रयास 19
इस्लामी अतिवाद के पनपने से ब्रिटेन चिंतित 21
मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू 23
मलेशिया में इजरायल और अमेरिका विरोधी अभियान 24
अवैध घुसपैठियों की रोकथाम के लिए यूरोप के पांच देशों में संधि 25

पश्चिम एशिया

मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं को मौत की सजा 26
ईरान के चुनाव में अतिवादियों को बहुमत 29
सऊदी सरकार पर इस्लाम विरोधी नीति अपनाने का आरोप 30
सूडान में रमजान के दौरान युद्धविराम की घोषणा 32
नाइजीरिया में बोको हराम द्वारा सैकड़ों विद्यार्थियों का अपहरण 34
ईरान में पिछले एक साल में 800 से अधिक लोगों को फांसी 36

सारांश

केंद्र सरकार ने बहुचर्चित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को देश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में इस अधिनियम को संसद ने पारित किया था। तब से मुस्लिम और तथाकथित सेक्युलर संगठनों द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा है। हालांकि, इस बार प्रशासन की सतर्कता के कारण शाहीन बाग जैसा धरना-प्रदर्शन शुरू नहीं हो सका है। सरकार को इस बात का संदेह था कि इस कानून की आड़ में देश विरोधी तत्व अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस संबंध में अधिसूचना जारी करने से पहले ही देशभर में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि यह कानून धार्मिक आधार पर किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं है और मुसलमान भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों से आवेदन दे सकते हैं। आशा है कि उनके इस स्पष्टीकरण के बाद मुस्लिम और सेक्युलर ताकतों द्वारा मोदी सरकार को निशाना बनाने का जो अभियान छेड़ा गया था उस पर लगाम लगेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से यह सिफारिश की है कि राज्य के 13 हजार से अधिक गैरकानूनी इस्लामी मदरसों को बंद कर दिया जाए। इनमें से अधिकांश मदरसे भारत-नेपाल सीमा पर स्थित हैं। जांच टीम ने कहा है कि इन मदरसों की आड़ में देश में आतंकवाद को भड़काने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में खाड़ी देशों से विपुल धनराशि हवाला के जरिए देश विरोधी तत्वों को प्राप्त हो रही है। जांच टीम ने यह संकेत दिया है कि सिर्फ एक जिले में चलने वाले इन गैरकानूनी मदरसों को अभी तक एक अरब रुपये से अधिक की धनराशि विदेशी स्रोतों से प्राप्त हो चुकी है। जांच टीम का यह निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाला है। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए इन गैरकानूनी मदरसों को फौरन बंद करने की घोषणा करे।

पाकिस्तान में चुनावी नतीजों की घोषणा के एक महीने बाद बड़ी मुश्किल से फेडरल सरकार का गठन हुआ है और शहबाज शरीफ ने देश के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इन चुनावी नतीजों से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तानी जनता ने सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का चुनाव में समर्थन नहीं किया है। सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से दूर रखने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया था। खास बात यह है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका ने भी सेना की कठपुतली के रूप में काम किया और इमरान खान को विभिन्न आरोपों में 34 साल की सजा सुनाने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। इस कारण इमरान खान के समर्थकों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा और वे जनता की मदद से बड़ी संख्या में चुनाव जीते।

मिस्र की एक अदालत ने अतिवादी इस्लामी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के आठ प्रमुख नेताओं को विभिन्न आरोपों में मौत की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त इस संगठन के कई नेताओं को उम्रकैद और लंबी अवधि की कैद की सजा सुनाई गई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी इस संगठन पर पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं। गौरतलब है कि इख्वानुल मुस्लिमीन की मिस्र के बादशाह फारूक का तख्ता पलटने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। साल 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ जनाक्रोश भड़काकर यह संगठन मोहम्मद मुर्सी को सत्ता में लाया था। बाद में सेना प्रमुख अल-सिसी ने मुर्सी को अपदस्थ करके मिस्र की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। मुकदमे के दौरान मुर्सी की जेल में ही रहस्यमयी मौत हो गई थी। इसके खिलाफ इख्वानुल मुस्लिमीन ने देश भर में जनाक्रोश भड़काने का प्रयास किया था, लेकिन सेना ने इसे सख्ती से दबा दिया था।

देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का विरोध

भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को देशभर में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही मुसलमानों के एक वर्ग ने इसका मुखर विरोध करना शुरू कर दिया है। इस विरोध को शांत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सभी विदेशी मुसलमानों को भी देश की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

रोजनामा सहारा (15 मार्च) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सीएए को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून में किसी की नागरिकता को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अमित शाह से यह पूछा गया कि विपक्ष का यह आरोप है कि भाजपा इस कानून के जरिए नया वोट बैंक बना रही है। इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। जो वे कहते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह खूबी है कि वे जो भी कहते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस कानून को अपने राज्य में लागू न करने के बयान की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी और विदेशियों के अवैध घुसपैठ को रोकेगी।

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह कानून देश के लिए बेहद खतरनाक है और इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध है, वे 2014 के बाद भाजपा के शासनकाल में भारत आए हैं। केजरीवाल ने पूछा कि क्या रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में प्रवेश के पीछे भाजपा का हाथ है? इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार जन सुराज अभियान के नेता

प्रशांत किशोर ने भी इस कानून का विरोध करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने इस काले कानून को लागू करवाया है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार में यह दावा किया गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने इस कानून को फौरन रद्द करने की मांग की है। दिल्ली के प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला फैज (एसआईओ), प्रसेनजीत कुमार (एआइएसए) और पुष्पेन्द्र (बीएपीएसए) ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुसलमानों को छोड़कर धार्मिक आधार पर देश की नागरिकता प्रदान करना भारतीय संविधान के खिलाफ है। भाजपा द्वारा मुसलमानों को देश की नागरिकता से वंचित करने की जो साजिश रची गई है हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पुलिस विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस काले कानून का विरोध करने वाले छात्रों के प्रदर्शनों को कुचल रही है। इस संबंध में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए प्रदर्शनों का विशेष रूप से उल्लेख किया।

हमारा समाज (15 मार्च) के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिकी सरकार ने भी इस कानून को लागू करने का विरोध किया है। इस पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यह हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने देश में सीएए को लागू करने पर चिंता प्रकट की है। उसने आरोप लगाया है कि यह कानून मोदी सरकार की सांप्रदायिक घृणा की नीति का परिचायक है। इस फैसले के जरिए सरकार समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती है और देश में मुस्लिम विरोधी भावना पैदा करना चाहती है।

अखबार-ए-मशरिक (13 मार्च) के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि यह कानून सांप्रदायिक आधार पर लागू किया गया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

उर्दू टाइम्स (13 मार्च) के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा देश में अशांति फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर सीएए को रमजान के महीने में लागू करने की घोषणा की है ताकि मुसलमान उत्तेजित होकर सड़कों पर उतरें और सरकार उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 मार्च) के अनुसार मुसलमानों के 30 बड़े नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि सीएए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए सरकार को इसे फौरन रद्द कर देना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को संविधान और मुसलमानों के खिलाफ बताया है और इसे फौरन वापस लेने की मांग की है।

रोजनामा सहारा (14 मार्च) के अनुसार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा की है कि वे सीएए को अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। जबकि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस कानून के खिलाफ राजभवन के सामने धरना दिया। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने यह आरोप लगाया कि भाजपा इस कानून की आड़ में सांप्रदायिक आधार पर जनता को बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे सहन नहीं किया जाएगा और हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जीतेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह आने वाले चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस काले कानून को लागू कर रही है। यह कानून हमारे संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एनआरसी और सीएए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता प्रदान करने वाला नहीं, बल्कि सांप्रदायिक आधार पर नागरिकता छीनने वाला है। यह कानून एक लॉलीपॉप है, जो भाजपा की सरकार चुनावी हार से बचने के लिए जनता को दे रही है। असम के छात्र संगठनों ने भी इस कानून के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। पूर्व सांसद और सीपीआई के सचिव सैयद अजीज पाशा ने कहा है कि यह कानून हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ 230 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, लेकिन सरकार ने चुनावी बॉन्ड, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इसे लागू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि इस काले कानून को वे अपने राज्य में किसी कीमत पर लागू नहीं करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए सीएए का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध वे लोग कर रहे हैं, जो लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध रूप से इस देश में लाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रवादियों को सीएए का समर्थन करना चाहिए।

रोजनामा सहारा (14 मार्च) ने अपने संपादकीय में सीएए का विरोध करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले सिर्फ तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। जबकि इस कानून में श्रीलंका के

अल्पसंख्यक हिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। संपादकीय में दावा किया गया है कि पिछले कई सालों से इस कानून का देशभर में विरोध हो रहा है और शाहीन बाग में महिलाओं का जो धरना-प्रदर्शन हुआ था उसने पूरे विश्व में एक नए इतिहास की रचना की थी। उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों को यह आशंका है कि सरकार उनके नागरिक अधिकारों को छीनकर उन्हें देश से निष्कासित करने की साजिश रच रही है।

सहाफत (14 मार्च) ने अपने संपादकीय में सीएए का विरोध करते हुए यह आरोप लगाया है कि इस कानून के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे जल्दबाजी में लागू किया है। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या पड़ोसी देशों में मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या हमारे पड़ोसी देश में अहमदिया मुसलमानों की हालत ठीक है? अगर वे अपने देश की सरकार के उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आएंगे तो क्या उन्हें इस आधार पर देश की नागरिकता देने से इंकार कर दिया जाएगा कि वे मुसलमान हैं? समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि इस कानून में प्रशासनिक अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति का नाम नागरिकता सूची में शामिल कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस देश के प्रशासनिक ढांचे में भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक और धर्मान्ध लोगों की कमी नहीं है। इसके चलते देश के मुसलमानों में यह भय है कि कहीं ये भ्रष्ट अधिकारी जानबूझकर उन्हें देश की नागरिकता से वंचित तो नहीं कर देंगे?

हमारा समाज (14 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार का यह निर्णय देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। देश में आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को सरकार ने इसलिए नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की है ताकि वे भाजपा का वोट बैंक बन जाएं। दूसरी ओर, सरकार इस देश में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों पर यह तलवार लटकाकर रखना चाहती है कि वह जब चाहे उन्हें देश की नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह भय इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि मुसलमान भाजपा के खिलाफ वोट देने की हिम्मत न करें।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (2 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देशभर में सीएए का विरोध शुरू हो गया है और यह विरोध उत्तर-पूर्व राज्यों में बहुत मुखर है। समाचारपत्र ने यह धमकी दी है कि अगर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

इत्तेमाद (12 मार्च) ने अपने संपादकीय में सरकार से मांग की है कि सीएए को वापस लिया जाए, क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया है। भाजपा की सरकार उन्हें नागरिकता से वंचित करने की तलवार हमेशा के लिए लटकाकर रखना चाहती है ताकि वे भाजपा की सांप्रदायिक व तानाशाही नीतियों का विरोध न करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह भाजपा की सरकार की ओर से मुसलमानों को रमजान मुबारक का तोहफा है। भाजपा सरकार ने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, यह कानून इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार जैसे तथाकथित सेक्युलर नेता ने भी संसद में इस काले कानून को लाने का समर्थन किया था। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्या धर्म के आधार पर नागरिकता देने या न देने का फैसला करना सेक्युलरिज्म और संविधान के खिलाफ नहीं है? समाचारपत्र ने कहा है कि सीएए से देश को कोई लाभ नहीं होगा और इसका सारा फायदा सिर्फ मोदी और शाह को ही होगा, जो राजनीतिक भी है और व्यक्तिगत भी। संघ परिवार इस बार का लोकसभा चुनाव सीएए, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता के घोड़े पर सवार होकर देश में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर पैदा करके जीतने की तैयारी कर रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि सीएए असंवैधानिक है, इसलिए कानूनी तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। समाचारपत्र ने मुसलमानों को यह दिलासा दिलाया है कि वे हरगिज न घबराएं, क्योंकि यह देश उनका है। इस देश के कण-कण में मुसलमानों के पूर्वजों का खून रचा-बसा है। मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाहे मोदी सरकार इससे संबंधित कितने भी कानून लाए।

कौमी तंजीम (13 मार्च) ने अपने संपादकीय में सीएए को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि इस कानून का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना है।

अखबार-ए-मशरिक (13 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि रमजान मुबारक के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने मुसलमानों

के जख्मों पर नमक छिड़का है और सीएए को लागू करने की घोषणा कर दी है। भाजपा इसे एक महत्त्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस कानून से पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय और बांग्लादेश से आए हिंदुओं को फायदा होगा, जिनमें अधिकांश दलित हैं। समाचारपत्र ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस काले कानून को लागू न करने की घोषणा की है। समाचारपत्र ने सभी विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से सीएए का विरोध करने की मांग की है।

इत्तेमाद (13 मार्च) ने अपने संपादकीय में सीएए की आलोचना करते हुए कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में इस कानून का विरोध करते हुए कहा था कि यह कानून मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। यह कानून गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की विचारधारा से प्रेरित है, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था।

उर्दू टाइम्स (14 मार्च) ने अपने संपादकीय में सीएए को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। समाचारपत्र ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने से बाज आएं, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो सरकार को उन पर कार्रवाई करने का बहाना मिल जाएगा। मुसलमानों को इस कानून का कानूनी तरीके से विरोध करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में 13 हजार गैरकानूनी मदरसों को बंद करने की सिफारिश

अवधनामा (8 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच के लिए जो विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की थी उसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश के 13 हजार गैरकानूनी मदरसों को बंद कर दिया जाए। इनमें से अधिकांश मदरसे भारत-नेपाल सीमा पर स्थित हैं। पिछले दो दशक में खाड़ी देशों से अवैध रूप से मिलने वाली आर्थिक सहायता से इन मदरसों का निर्माण किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अधिकांश मदरसे उत्तर प्रदेश के सात जिलों में हैं, जिनमें से पांच जिले नेपाल सीमा पर स्थित हैं। इनमें महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक जिलों में 500-500 ऐसे मदरसे जांच के दौरान मिले हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जब जांच टीम ने इन मदरसों के संचालकों से आय और व्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी तो उन्होंने इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जांच टीम का यह निष्कर्ष है कि विदेशी स्रोतों से जो धनराशि प्राप्त हुई उसे देश में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के उद्देश्य से इन मदरसों के निर्माण पर खर्च किया गया। ये मदरसे सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इनके प्रमाणपत्रों की मान्यता न होने के कारण इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। इन मदरसों के अध्यापक भी अप्रशिक्षित हैं और यह भी आरोप लगाया जाता है कि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का शारीरिक शोषण किया जाता है।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 मार्च) के अनुसार एसआईटी ने कहा है कि इन मदरसों के निर्माण में खाड़ी देशों से हवाला के जरिए एक अरब रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या 30 हजार से भी अधिक है। इनमें से 13 हजार मदरसों के प्रबंधकों से सरकार ने कई बार उन्हें मिलने वाली धनराशि और मदरसों के छात्रों व अध्यापकों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन

मदरसों के प्रबंधकों ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। गुप्तचर सूत्रों ने यह संदेह व्यक्त किया था कि विदेशों से अवैध रूप से प्राप्त होने वाली धनराशि को देश में इस्लामी आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मदरसों में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के भी संकेत मिले थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन मदरसों की जांच के लिए पुलिस, गुप्तचर विभाग और मदरसा बोर्ड की एक संयुक्त जांच टीम का गठन किया था, जिसने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है।

इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन मदरसों के संचालकों ने यह बताया था कि लोगों से प्राप्त चंदे और जकात की धनराशि से इन मदरसों का निर्माण किया गया है, मगर वे धनराशि प्रदान करने वाले व्यक्तियों के नाम और पता की जानकारी जांच टीम को नहीं दे सके। विभागीय जांच में कुल 23 हजार मदरसे संदिग्ध पाए गए थे। इसके बाद इन मदरसों की विस्तृत जांच की जिम्मेवारी एसआईटी को सौंपी गई थी।

हिंदुस्तान (8 मार्च) ने यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है। वह धार्मिक घृणा के कारण इस्लामी मदरसों को जानबूझकर अपना निशाना बना रही है ताकि मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाएं। समाचारपत्र ने मुसलमानों से अपील की है कि वे योगी सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों का डटकर विरोध करें और मदरसों को बंद होने से बचाएं।

इंकलाब (8 मार्च) ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने इन खबरों पर नााराजगी प्रकट की है और कहा है कि ऐसे समाचार जानबूझकर प्रकाशित किए गए हैं ताकि समाज में मदरसों और इस्लाम के खिलाफ जनाक्रोश पैदा हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन मदरसों को बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कहा है कि एसआईटी की जांच के दौरान मदरसों में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार से सिफारिश की गई है। विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में किया था। इस टीम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक भी शामिल थीं। निदेशक ने कहा है कि समाचारपत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनकी पुष्टि करना अभी संभव नहीं है। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश के टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव जमान खान का कहना है कि जो मदरसे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं हैं उन्हें गैरकानूनी कहना ही गैरकानूनी है, क्योंकि मदरसों पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं है। उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि देश में आतंकवाद को भड़काने के लिए विदेशों से हवाला के जरिए इन मदरसों को भारी धनराशि प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि जो मदरसे विदेशों से धन लेते हैं उनके पास बाकायदा एफसीआरए होता है और वे उन्हें मिलने वाली धनराशि के बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मदरसों के अध्यापकों के एक अन्य संगठन के महासचिव वहीदुल्लाह खान सईदी का कहना है कि इस संबंध में मीडिया में जानबूझकर समाचार प्रकाशित किए गए हैं ताकि समाज में मुसलमानों और इस्लाम के प्रति घृणा की भावना पैदा हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 16 हजार मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। जबकि 8 हजार 459 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं। फिर भी उन्हें गैरकानूनी कहना सरासर गलत है।

उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला के सर्वेक्षण का आदेश

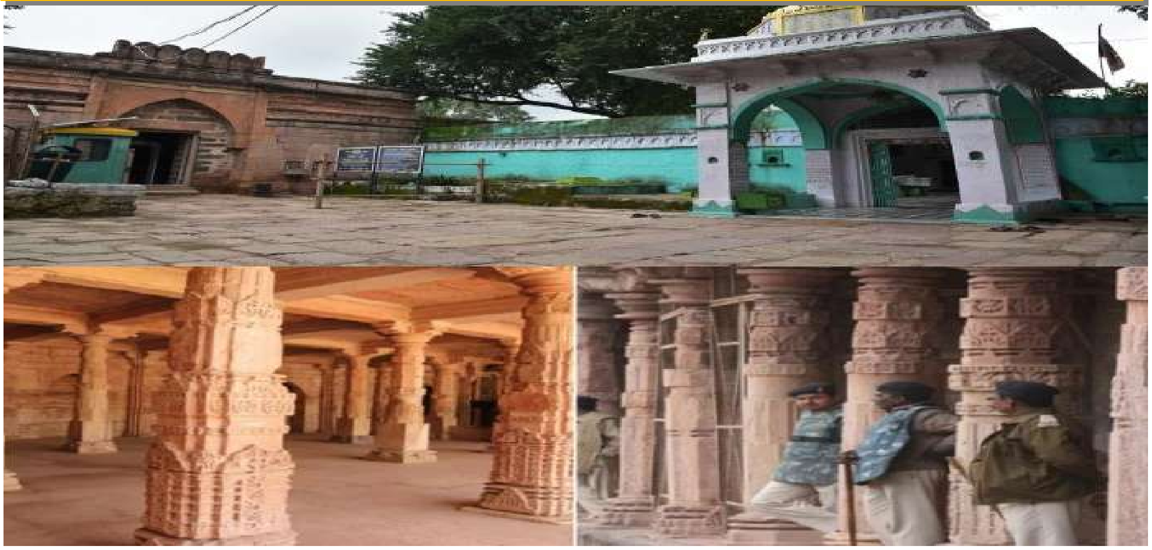

उर्दू टाइम्स (13 मार्च) के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने धार स्थित भोजशाला का सर्वे करवाने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पांच विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। यह टीम छह सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत के निर्देश की कॉपी संवाददाताओं को वितरीत करते हुए कहा कि उन्होंने विवादित इमारत भोजशाला के सर्वेक्षण कराने के बारे में उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है और इस इमारत का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने इस सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने यह सर्वे जीपीआर-जीपीएस की पद्धति से करवाने का निर्देश दिया है। हिंदू पक्ष ने यहां पर होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की है। इस परिसर में इन दिनों मौलाना कमालुद्दीन का दरगाह भी स्थित है।

हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला का निर्माण एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में महाराजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने एक दरगाह में बदल दिया और उसमें एक सूफी मौलाना कमालुद्दीन की कब्र भी बना दी। इस भवन के भग्नावशेष से पुरातत्व विभाग को वाग्देवी की जो प्रतिमा मिली थी वह इन दिनों लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में है। भोजशाला में जुमे के दिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति है। जबकि हिंदू मंगलवार को वहां पर पूजा कर सकते हैं।

ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का विवाद भी एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। हिंदू इसे वाग्देवी का मंदिर बताते हैं। जबकि मुसलमान इसे मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद मानते हैं। यहां पर सरस्वती पूजा के मौके पर दोनों संप्रदायों में तनाव पैदा हो जाता है। हिंदू पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 19 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 11 मार्च को सुनाया गया। अदालत ने ज्ञानवापी की तरह इस मामले में भी एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील शिरीष दुबे ने कहा है कि अदालत ने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है। सर्वे के साथ-साथ इस भवन की कार्बन डेटिंग भी करवाई जाएगी। इस सर्वे को भोपाल रेंज के एएसआई के

खिलजी के शासनकाल में उसके सेनापति दिलावर खान ने भोजशाला को जबरन एक मस्जिद में बदल दिया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पुरातत्व विशेषज्ञ माइकल विलिस ने अपने शोध पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि भोजशाला का निर्माण परमार वंश के महाराजा भोज ने करवाया था। उन्होंने इस परिसर में ज्ञान की देवी सरस्वती की एक प्रतिमा भी स्थापित की थी, जो इन दिनों लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद है। विलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस दरगाह के स्तंभ किसी प्राचीन हिंदू मंदिर के हैं। इस दरगाह के फर्श पर छह संस्कृत शिलालेख भी मौजूद हैं, जो दसवीं शताब्दी के बताए जाते हैं।

निदेशक के नेतृत्व में करवाया जाएगा। अदालती निर्देश के अनुसार यह सर्वे परिसर की चहारदीवारी से 50 मीटर की दूरी तक होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सर्वेक्षण भवन के खंभों सहित परिसर में बंद और खुले कमरों का भी होगा।

अखबार-ए-मशरिक (13 मार्च) ने यह आरोप लगाया है कि हिंदूवादी ताकतों ने अब धार की दरगाह मौलाना कमालुद्दीन पर भी अपना दावा ठोक दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का विवाद का अनुसरण करते हुए अब धार की भोजशाला का भी सर्वे कराने का आदेश भारतीय पुरातत्व विभाग को दे दिया है। समाचारपत्र ने यह संदेह व्यक्त किया है कि आने वाले चुनावों में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लक्ष्य से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है।

टिप्पणी: पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार भोजशाला, जिसे सरस्वती सदन भी कहा जाता है का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में करवाया था। महाराजा भोज का शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी तक बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस विवाद का केंद्र धार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है। मुसलमानों का दावा है कि इस मस्जिद परिसर में कमालुद्दीन का मजार है। कमालुद्दीन चिश्ती सूफी थे और वे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। अलाउद्दीन

इस मस्जिद और दरगाह का उल्लेख दो ब्रिटिश पुरातत्व विशेषज्ञों जॉन मैल्कम और विलियम किनकैड ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि यह भवन निश्चित रूप से एक हिंदू भवन है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ओसी गांगुली ने 1943 में ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद परमारकालीन वाग्देवी की मूर्ति का निरीक्षण किया था। उन्होंने यह दावा किया है कि इस मूर्ति में एक संस्कृत भाषा का शिलालेख आज भी मौजूद है। इस मूर्ति का निर्माण महाराजा भोज ने करवाया था और इसे सरस्वती मंदिर में स्थापित किया था। 2003 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भोजशाला का उद्धार मुख्य चुनावी मुद्दा बना था। इसके कारण तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता निकल गई थी और भाजपा सत्तारूढ़ हो गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा में यह घोषणा की थी कि सरकार वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने के लिए प्रयत्नशील है।

बेंगलुरु बम धमाके के पीछे आईएसआईएस का हाथ

मुंबई उर्दू न्यूज (6 मार्च) के अनुसार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए बम धमाके के तार इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े बताए जा रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (14 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस धमाके से जुड़े एक संदिग्ध को बेल्लारी से गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एनआईए को इस कैफे का एक सीसीटीवी फुटेज मिला था, जिसमें एक टोपी पहने नौजवान को एक बैग के साथ इस कैफे में दाखिल होते हुए देखा गया था। यह युवक इस बैग को कैफे में रखने के बाद वहां से चला गया था। बाद में इसी बैग में धमाका हुआ। एनआईए का अनुमान है कि यह धमाका आईईडी द्वारा हुआ था। इस धमाके में नौ लोग घायल हो गए थे। जांच एजेंसी को घटनास्थल से बैटरी, जला हुआ बैग और कुछ आईडी कार्ड मिले थे। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने संवाददाताओं को बताया कि इस धमाके में आतंकी संगठन आईएसआईएस के हाथ होने के संकेत मिले हैं, इसलिए इसकी जांच का जिम्मा एनआईए को दिया गया है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसकी शक्ल आरोपी से मिलती-जुलती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि एक व्यक्ति कैफे में इडली की एक प्लेट का ऑर्डर देता है और अपना बैग वहां पर रखने के बाद वह बाहर चला जाता है। एनआईए ने आरोपी का सुराग देने वाले को दस लाख ईनाम देने की भी घोषणा की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 मार्च) के अनुसार एनआईए ने बेंगलुरु के आरटी नगर में एक संदिग्ध व्यक्ति टी. नजीर के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को उसके घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों से यह पता चलता है कि टी. नजीर आईएसआईएस के संपर्क में था। उसके घर से कुछ विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी को इस बात के भी संकेत मिले हैं कि टी. नजीर ने एक अन्य युवक जुनैद अहमद को प्रेरित करके यह धमाका करवाया था। नजीर के खिलाफ पहले से ही दो मुकदमे दर्ज हैं और वह फिलहाल जेल में बंद है।

जांच एजेंसी ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में जाकर उससे पूछताछ की है। बाद में चेन्नई के रामनाथपुरम में शमसुद्दीन के घर पर भी छापा मारा गया और सिद्दरपेट व बिडयार से भी पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है।

उर्दू टाइम्स (13 मार्च) के अनुसार एनआईए ने इस धमाके के सिलसिले में देश के सात राज्यों में 30 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं। इन धमाकों की योजना लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए टी. नजीर ने बनाई थी। नजीर केरल का रहने वाला है और वह इन दिनों बेंगलुरु जेल में बंद है। आईएसआईएस से संपर्क रखने के आरोप में उसे जनवरी में आठ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि इस धमाके के दो अन्य आरोपी जुनैद अहमद और सलमान खान भागकर एक पड़ोसी देश में चले गए हैं। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने आईएसआईएस से संबध रखने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से अवैध हथियार, गोला बारूद और बम बनाने का सामान बरामद किया गया था। एनआईए के सूत्रों का दावा है कि आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर ने भारत में अपना मकड़जाल फैला रखा है और वह एक विशेष संप्रदाय के युवकों को देश में इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए भड़का रहा है। इस संबंध में उन्हें झारखंड के गुप्त प्रशिक्षण शिविरों में हिंसा और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारतीय मुस्लिम युवक रूस—यूक्रेन युद्ध में मारा गया

हिंदुस्तान (7 मार्च) के अनुसार हैदराबाद का रहने वाला एक 30 वर्षीय मुस्लिम युवक मोहम्मद असफान रूस की ओर से युद्ध करते हुए यूक्रेन में मारा गया है। असफान को एक एजेंट ने मास्को भेजा था। असफान के परिजनों ने बताया कि जिस एजेंट ने उसे भर्ती किया था उसने यह आश्वासन दिया था कि वह रूस जाकर एक कार्यालय में नौकरी करेगा। रूस पहुंचने पर उसे मास्को के एक शिविर में 15 दिन का प्रशिक्षण देकर रूस-यूक्रेन के युद्ध में फ्रंट लाइन पर भेज दिया

गया, जहां पर वह अन्य रूसी सैनिकों के साथ मारा गया। रूस जाने से पहले मोहम्मद असफान कपड़े के शोरूम में सेल्समैन के रूप में काम करता था। एजेंट ने उसे कहा था कि रूस में उसे 45 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा।

सियासत (10 मार्च) के अनुसार भारत सरकार ने सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि वह मोहम्मद असफान को भर्ती करने वाले सिंडिकेट के बारे में व्यापक रूप से जांच करे। तेलंगाना सरकार के सूत्रों के अनुसार इस बात के संकेत मिले हैं कि उसे मानव तस्करों के एक गिरोह ने रूस में मोटे वेतन का प्रलोभन देकर भर्ती किया था। सीबीआई की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह सिंडिकेट अब तक 35 लोगों को भर्ती करके रूस भेज चुका है। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया था कि कुछ एजेंटों ने 20 भारतीय युवकों को रूस भेजा था। वहां पर उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के बाद रूस की ओर से यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। गैरसरकारी सूत्रों के अनुसार इनमें से हैदराबाद के दो युवक यूक्रेन में युद्ध के दौरान मारे गए हैं। मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ भारतीय युवक रूस की ओर से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग मारे गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति के मारे जाने की अधिकृत रूप से पुष्टि की गई है।

सीबीआई की जांच के अनुसार जिन 35 लोगों को एजेंटों ने भर्ती करके रूस भेजा था उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि वे रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नौकरी करने के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। बाद में रूस सरकार ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देकर युद्ध मोर्चे पर भेज दिया। कुछ भारतीय युवकों के युद्ध के दौरान घायल होने की भी पुष्टि हुई है। सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई समेत कई स्थानों पर इस सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों की तलाश में छापे भी मारे हैं। बताया जाता है कि इन छापों में कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ-साथ पांच करोड़ रुपये नकद भी मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस सिंडिकेट से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सीबीआई सूत्रों ने इस संबंध में अधिक

जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रूस भेजे गए भारतीय नागरिकों में से सात ने यह अनुरोध किया है कि उन्हें रूस से वापस स्वदेश भेजा जाए। उन्होंने कहा है कि एजेंटों ने पर्यटन वीजा पर उन्हें रूस भेजा था, मगर अब रूसी सेना में भर्ती करके उन्हें यूक्रेन के युद्ध मोर्चे पर लड़ने के लिए जाने पर मजबूर किया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार किया है।

अखबार-ए-मशरिक (10 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के बाद से वह और अधिक आक्रामक हो गया और फरवरी 2022 में उसने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह समझा था कि वे चार दिनों के अंदर ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यूक्रेनी सेना ने रूसियों को नाकों चने चबवा दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक इस युद्ध में एक लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूसी सैनिकों के भारी संख्या में मारे जाने के बाद अब रूस ने बाहरी लोगों को भी इस युद्ध के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया है। रूस की नजरें भारत पर भी पड़ीं और एजेंटों द्वारा कई भारतीय युवकों को धोखे से भर्ती करके रूस भेज दिया गया। यह मामला अभी दबा रहता, लेकिन हैदराबाद के एक मुस्लिम युवक मोहम्मद असफान के युद्ध में मारे जाने के बाद जब इस संबंध में उसके परिजनों को जानकारी दी गई तो देशभर में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय भी हरकत में आ गया। विदेश मंत्रालय ने रूस में भेजे गए लोगों के परिजनों से अपील की कि वे विदेश मंत्रालय से संपर्क करें ताकि संबंधित लोगों को रूस से भारत वापस लाने का प्रयास किया जाए। विदेश मंत्रालय के अनुसार अभी तक 20 ऐसे भारतीयों के बारे में जानकारी मिली है, जो रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा है कि हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि कितने भारतीय ऐसे हैं जिन्हें धोखे से एजेंटों ने रूस भेजा है और उन्हें रूसी सेना में जबरन भर्ती करके यूक्रेन के युद्ध में झोंक दिया गया है। हम ऐसे लोगों की रिहाई के लिए रूसी सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं।

इस बात की भी पुष्टि हुई है कि सीबीआई ने सात नगरों में छापे मारकर इन युवकों को भर्ती करने वाले सिंडिकेट का सुराग लगाया है। इन छापों में बरामद दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि होती है कि कम-से-कम 35 लोगों को भर्ती करके रूस भेजा गया था। इनमें से सात युवक पंजाब के हैं। इनमें से एक अन्य युवक पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। इस व्यक्ति को एजेंटों ने रूस में मोटे वेतन का प्रलोभन देकर पर्यटन वीजा पर बेलारूस भेजा था। यहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे रूसी सेना के हवाले कर दिया गया। रूसी सेना अब उसे यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए जबरन भेज रही है। समाचारपत्र ने मांग की है कि इन युवकों को रूस भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीबीआई के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि इस सिंडिकेट का मकड़जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ है।

पाकिस्तान में नई सरकार का गठन

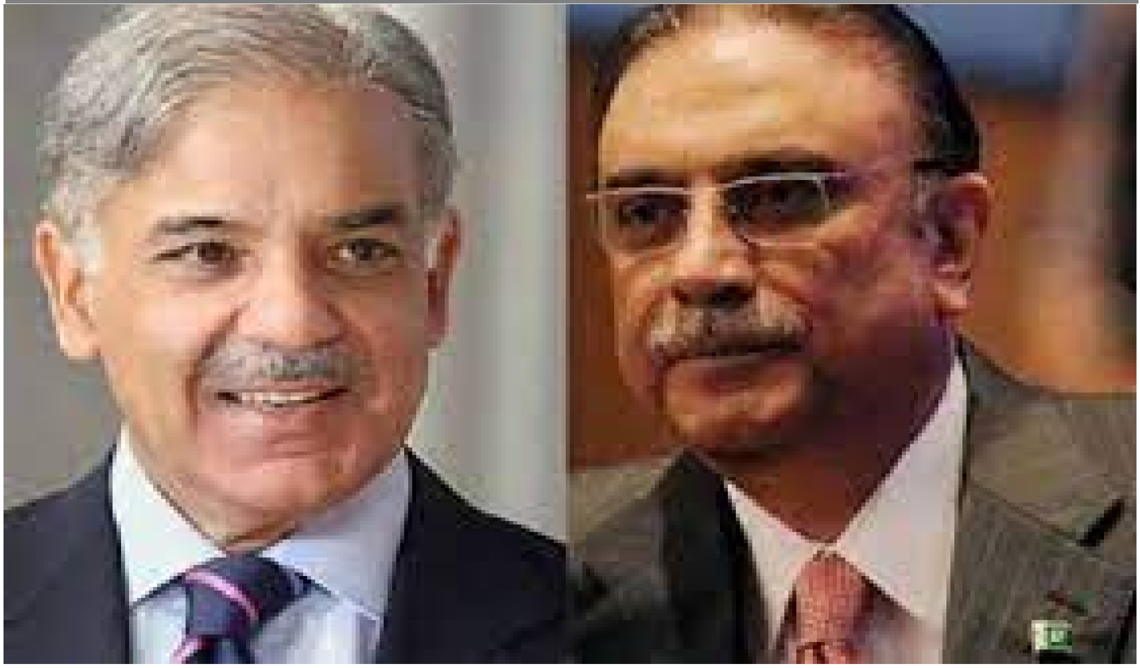

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वे 2008-2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में पाकिस्तानी संसद के 381 सदस्यों ने वोट डाले। इनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साझा उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 255 वोट मिले। वहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले। इसके अतिरिक्त आसिफ अली जरदारी को पंजाब विधानसभा से 246, सिंध विधानसभा से 151, खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा से 17 और बलूचिस्तान विधानसभा से 47 वोट मिले। दूसरी ओर, विपक्ष के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को पंजाब विधानसभा से 100, सिंध विधानसभा से नौ और खैबर पख्तूनख्वा से 91 वोट मिले। जबकि बलूचिस्तान विधानसभा से उन्हें एक भी वोट नहीं मिला।

गौरतलब है कि आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले कार्यकाल में कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले भी किए थे। इनमें विधानसभा को भंग करने का अधिकार संसद को वापस करना, 18वें संवैधानिक संशोधन के जरिए राज्यों की स्वायत्तता बहाल करना और गिलगित-बाल्टिस्तान को स्वायत्तता देने जैसे फैसले प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त उनके शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। जरदारी पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। पाकिस्तान के राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें 'मिस्टर 10 परसेंट' के नाम से भी जाना जाता है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान नेशनल असेंबली में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण चुनाव

परिणामों की घोषणा के एक महीने बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक ने प्रधानमंत्री पद के लिए हुए मतदान के परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के पक्ष में 201 सदस्यों ने वोट डाले हैं। वहीं, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) ने प्रधानमंत्री के चुनाव का बहिष्कार किया। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और निर्दलीय सदस्यों ने शहबाज शरीफ के निर्वाचन को फ्रॉड करार दिया। पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। गौरतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू), नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (जिया) के समर्थन से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उमर अयूब खान का समर्थन किया था।

नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मगर वे शीघ्र ही इस पर नियंत्रण पा लेंगे। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की आमदनी और खर्च में एक हजार अरब रुपये का अंतर है, मगर हम स्थिति पर काबू पा लेंगे। हालांकि, यह बहुत ही मुश्किल है पर नामुमकीन नहीं। उन्होंने कश्मीर का मामला उठाते हुए कहा कि हम जम्मू-कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे।

सियासत (2 मार्च) के अनुसार अमेरिकी सांसदों ने एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह मांग की है कि जब तक पाकिस्तान सरकार चुनावों में हुई धांधली की जांच की घोषणा नहीं करती तब तक अमेरिका उसे मान्यता न दे। राष्ट्रपति को भेजे पत्र पर 31 अमेरिकी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। दूसरी ओर, **अवधनामा** (6 मार्च) के अनुसार अमेरिका ने घोषणा की है कि वह पाकिस्तान की शहबाज सरकार के साथ स्थिर और मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है। इसके लिए वह पाकिस्तान की नई सरकार को हर संभव सहयोग देगा। चीन और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। इन दोनों देशों ने कहा है कि वे पाकिस्तान के विकास के लिए नई सरकार को हर संभव सहयोग देंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (5 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर चल रहा था, वह फिलहाल समाप्त हो गया है और मुस्लिम लीग (नवाज) के शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हालांकि, पाकिस्तानी जनता ने चुनावों

में इमरान खान की पार्टी का समर्थन किया था, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने सेना की सहायता से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की नई सरकार वहां की सेना के रहमोकरम पर है और वह कब तक सत्ता में रहती है इसकी भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है।

सियासत (4 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पहले यह आशा थी कि सेना की सहायता से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वहां की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने की हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बहुमत न मिलने के कारण पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को सेना के दबाव पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तानी जनता ने सेना के मंसूबे को विफल बनाते हुए इमरान खान के समर्थकों को भारी संख्या में विजयी बनाया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग और न्यायपालिका ने भी सेना की कठपुतली के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही इमरान को लगभग तीन दर्जन मुकदमे के मकड़जाल में उलझा दिया गया। अगर पाकिस्तानी सेना निष्पक्ष रहती तो इमरान खान को सत्ता से दूर रखना संभव नहीं हो पाता।

अखबार-ए-मशरिक (7 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सेना की सहायता से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, मगर उनका रास्ता कांटों से भरा हुआ है। इस समय पाकिस्तान समस्याओं से ऐसे घिरा हुआ है कि उससे निपट पाना नई सरकार के लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है और अपनी गलत नीतियों के कारण वह विश्व में अलग-थलग पड़ गया है। वहीं, सेना कब तक शहबाज शरीफ का साथ देगी इसके बारे में भी दावे से कुछ कह पाना संभव नहीं है।

भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ संबंधों में सुधार का प्रयास

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा है कि भारत के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और चाबहार परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तब से अब तक विश्व के किसी भी देश ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की है। भारत के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के काबुल दौरे से इस बात का संकेत मिलता है कि भारत ने फिर से अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में रुचि लेनी शुरू कर दी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले ढ़ाई सालों में मानवीय आधार पर अफगानिस्तान को कई क्षेत्रों में सहायता दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सरकार मादक पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण का जो प्रयास कर रही है वह सराहनीय है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तालिबान सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईएसआईएस के अफगानिस्तान में खून की होली खेलने के मंसूबे पर रोक लगाने के प्रयास में भी अफगान सरकार काफी हद तक सफल रही है।

उन्होंने कहा कि भारत का यह प्रयास है कि चाबहार के रास्ते से भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन दिया जाए।

वहीं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि हम भारत के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भारत से अनुरोध किया कि भारत सरकार अफगान व्यापारियों, छात्रों और बीमारों को भारत का वीजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से दो बार भारत का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान का दौरा कर चुका है। भारत सरकार ने अफगान जनता की सहायता के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्न दवाईयां और अन्य सामग्री भेजी है। गौरतलब है कि इस साल के जनवरी महीने में अफगानिस्तान सरकार ने 11 देशों के उच्चाधिकारियों का एक सम्मेलन काबुल में बुलाया था, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि, भारत तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ाने में फूंक-फूंककर कदम रख रहा है।

रोजनामा सहारा (10 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिका अफगानिस्तान को अपने चंगुल में फंसाए रखना चाहता था। जबकि भारत का प्रयास अफगानिस्तान के नवनिर्माण और उसके आर्थिक विकास पर था। भारत उन पांच देशों में शामिल है, जिन्होंने अफगानिस्तान के नवनिर्माण के लिए दिल खोल कर सहायता दी है। समाचारपत्र ने कहा है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान के नवनिर्माण में भारत के सहयोग को अच्छी तरह से जानती है। वहीं, पाकिस्तान का यह प्रयास रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध न बने। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान की इस बदनीयती को भांप चुकी है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंधों में दिन-प्रतिदिन खटास आती जा रही है। अफगानिस्तान सरकार यह भी जानती है कि अगर वह चीन के चंगुल में फंसी तो उसकी हालत पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो जाएगी। ऐसे में यह जरूरी है कि अफगान सरकार भारत के साथ अपने पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहाल करने की ओर ध्यान दे।

इस्लामी अतिवाद के पनपने से ब्रिटेन चिंतित

तासीर (3 मार्च) के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने देश में बढ़ते हुए इस्लामी अतिवाद पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने इस्लामी अतिवादियों को यह चेतावनी दी है कि सरकार उनकी हिंसक कार्रवाईयों को सहन नहीं करेगी और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी है, लेकिन अगर उन्होंने हिंसा और अतिवाद का रास्ता अपनाया तो उसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में ब्रिटेन में इस्लामी अतिवादियों की गतिविधियों में भारी तेजी आई है। इसकी शुरुआत विरोध प्रदर्शनों से हुई थी, जिसने बाद में धमकियों और सुनियोजित हिंसा का रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि अब ब्रिटेन में रहने वाले यहूदी बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह भय है कि इस्लामी अतिवादी उन पर हमला करेंगे। ऋषि सुनक ने कहा कि विश्वभर के विभिन्न देशों से ब्रिटेन आने वाले प्रवासी अगर यहां के सामाजिक ढांचे और संस्कृति का अंग बन जाते हैं तो उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं एक हिंदू होते हुए भी एक ब्रिटिश नागरिक हूं। अगर कोई दीनदार मुसलमान इस्लाम का अनुसरण करते हुए देशभक्त ब्रिटिश नागरिक के रूप में यहां रहता है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उसका लाभ उठाते हुए कुछ अतिवादी मुसलमान हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं और वे नफरत का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक भावना के सरासर खिलाफ है, जिसे सरकार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी।

इत्तेमाद (13 मार्च) के अनुसार ब्रिटेन में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए जनाक्रोश को देखते हुए ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने यह घोषणा की है कि ब्रिटिश सरकार अगले चार सालों में मस्जिदों, सामुदायिक केंद्रों और मुस्लिम स्कूलों की सुरक्षा पर 11 करोड़ 70 लाख पाउंड खर्च करेगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मुसलमानों में बढ़ रही असुरक्षा की भावना को दूर किया जा सके। ब्रिटिश गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद ब्रिटेन में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना बड़ी तेजी से पनप रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश समाज और संस्कृति में किसी विशेष वर्ग या धर्म के खिलाफ नफरत की भावना का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि मध्य पूर्व के हालात को ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल न होने दिया जाए।

सहाफत (3 मार्च) के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में फिलिस्तीनियों के पक्ष में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है और प्रदर्शनकारियों को अतिवादी करार दिया है वह उचित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार हमास के पक्ष में बन रहे जनमत को सहन करने के लिए तैयार नहीं है और वह उसके खिलाफ माहौल बना रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ब्रिटेन के निदेशक (नस्लीय न्याय) इलियास नागदी ने कहा है कि गाजा में मुसलमानों के खिलाफ इजरायल के आक्रामक रूख का विरोध करना आतंकवाद या अतिवाद नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटिश सरकार ने आज तक इजरायल पर इस बात के लिए दबाव नहीं डाला है कि वह गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करे।

इत्तेमाद (6 मार्च) के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया है कि किसी भी अतिवादी या हिंसा फैलाने वाले तत्व को ब्रिटेन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रिटिश गुप्तचर विभाग सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के ऐसे इस्लामी अतिवादी तत्वों की सूची तैयार कर रहा है, जिनके ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राजनीतिक हिंसा विभाग के प्रमुख लॉर्ड बेल्लामी ने कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ब्रिटेन के लोकतंत्र के लिए खतरा बनने वाले अतिवादियों को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में लंदन में होने वाले उग्र प्रदर्शनों में दक्षिणपंथी और इस्लाम परस्तों में जो गठबंधन हुआ है वह बेहद चिंताजनक है। वहीं, लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ब्रिटेन में इस्लाम के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है।

इंकलाब (9 मार्च) के अनुसार गाजा में इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में ब्रिटेन में हुए उग्र प्रदर्शनों के बाद वहां पर मुस्लिम विरोधी भावनाओं में तेजी आई है। एक गैर-सरकारी संगठन 'टेल मामा' ने यह दावा किया है कि ब्रिटेन में पिछले साल की तुलना में इस साल मुस्लिम विरोधी घटनाओं में तीन गुना वृद्धि हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए जनता में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ सुनियोजित ढंग से प्रचार कर रहे हैं। इनमें कंजर्वेटिव पार्टी के अनेक नेता शामिल हैं। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दावा किया है कि ब्रिटेन में इस्लामी अतिवादियों और यहूदी विरोधियों की गतिविधियों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का एक वर्ग ब्रिटेन में अतिवादी इस्लाम का प्रचार कर रहा है, जो ब्रिटिश सांस्कृतिक परंपरा के सरासर खिलाफ है।

इससे पहले विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने भी यह आरोप लगाया था कि कुछ अतिवादी मुसलमान हमास के पक्ष में माहौल

बनाने के लिए अतिवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे इस्लामी तत्व ब्रिटिश समाज को अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं और नेताओं को डराने के लिए वे धमकीपूर्ण रवैये के साथ-साथ ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ब्रिटिश लोकतंत्र के सामने खतरा पैदा हो गया है। ब्रिटेन के नेताओं में इस्लाम विरोधी भावना के उभार का संकेत पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक के बयान से भी मिलता है। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण देते हुए आरोप लगाया था कि हमारी सड़कों पर अतिवादी मुसलमानों का कब्जा हो गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस्लाम विरोधी तत्वों को उस समय और अधिक प्रोत्साहन मिला जब स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में गाजा में युद्धविराम के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद इस्लाम विरोधी भावनाओं की बाढ़ आ गई। इन दिनों ब्रिटिश मीडिया में यह धुआंधार प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान ब्रिटिश लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और वे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। समाचारपत्र का कहना है कि ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में सुधार करने में विफल रही है, इसलिए वह आम जनाक्रोश को मुसलमानों के खिलाफ मोड़ना चाहती है। उन्हें इस बात का भय है कि चौपट अर्थव्यवस्था के कारण आने वाले चुनाव में ब्रिटिश जनता उन्हें सत्ता से वंचित कर देगी। ■

मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू

इंकलाब (13 मार्च) के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कड़ी चेतावनी के बाद भारत सरकार ने मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अब तक 25 भारतीय सैनिक मालदीव से भारत आ चुके हैं। हालांकि, अभी तक इसकी सरकारी तौर पर घोषणा नहीं की गई है। मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स की घोषणा के अनुसार मई महीने तक सभी भारतीय सैनिक मालदीव से वापस भारत आ जाएंगे और उनका स्थान मालदीव की सेना संभाल लेगी। भारत द्वारा मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का संचालन और उनकी देखभाल अब मालदीव की रक्षा मंत्रालय संभालेगी। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की थी कि मई महीने के बाद मालदीव किसी भी भारतीय सैनिक को अपनी भूमि पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सैनिक स्वदेश वापस नहीं जाएंगे, बल्कि वे मालदीव की सेना की वर्दी में ही कार्य करेंगे। यह अफवाह सरासर गलत है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (6 मार्च) के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सरकार मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने में सफल रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने इससे पहले एक सिविलियन टीम को मालदीव भेजा था ताकि वे हेलीकॉप्टरों की

देखभाल करने वाले भारतीय सैनिकों की जगह ले सकें।

रोजनामा सहारा (6 मार्च) के अनुसार मालदीव सरकार ने चीन के साथ सैन्य सहायता से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किया है। गौरतलब है कि पिछले साल अपने चुनावी अभियान के दौरान मोहम्मद मुइज्जू ने यह घोषणा की थी कि वे किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में रहने नहीं देंगे। उन्होंने इस संबंध में 'इंडिया आउट' का अभियान भी चलाया था। चीन की रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि मालदीव को सैन्य सहायता देने और सेना से संबंधित मामलों में सहयोग करने के लिए उसने मालदीव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मालदीव की सरकार ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि चीन हमें उपहार के रूप में ये सैन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन मालदीव के साथ सामरिक सहयोग के आधार पर रक्षा क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रयत्नशील है। हाल ही में चीन ने मालदीव के कुछ टापुओं में नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए चीनी रक्षा विशेषज्ञों की एक टीम मालदीव गई है।

सहाफत (9 मार्च) के अनुसार मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि वर्तमान सरकार की चीन समर्थक नीति मालदीव की जनता को पसंद नहीं है और मौजूदा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश भड़क रहा है। उन्होंने कहा कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वहां जाने वाले भारतीय पर्यटक हैं। अब इन पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा।

मलेशिया में इजरायल और अमेरिका विरोधी अभियान

रोजनामा सहारा (3 मार्च) के अनुसार मलेशियाई जनता द्वारा अमेरिका और इजरायल के उत्पादों के बहिष्कार के कारण इन दोनों देशों की कंपनियों की आय में भारी गिरावट आई है। अरब न्यूज के अनुसार मलेशिया की जनता ने गाजा पर इजरायली हमले के विरोध में अमेरिका और इजरायल की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की मलेशियाई पैरेंट कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि इस बहिष्कार के कारण उसकी आय में 40 प्रतिशत की कमी आई है। मलेशिया की स्टारबक्स कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि इस बहिष्कार के कारण उसके 400 से अधिक स्टोर पर उग्र भीड़ ने हमला किया और इजरायल व अमेरिका के बने हुए उत्पादों की होली जलाई। इन हमलों में उसके कई कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। इस कंपनी ने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि इजरायल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने दावा किया कि उनका इजरायल में न तो

कोई स्टोर है और न ही वे वहां की सरकार या सेना को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। कंपनी ने कहा है कि मलेशिया में उनके खिलाफ जो प्रचार किया जा रहा है वह निराधार है।

हमारा समाज (13 मार्च) के अनुसार ब्रिटेन के मुसलमानों ने यह घोषणा की है कि वे इजरायल से आने वाली खजूरों को नहीं खरीदेंगे। इस संबंध में पूरे यूरोप में जनमत जागृत करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। गौरतलब है कि ब्रिटेन इजरायल से प्रत्येक वर्ष 30 लाख टन खजूर खरीदता है, जिनका मूल्य एक करोड़ डॉलर बनता है। रमजान में रोजा इफ्तार करने के लिए खजूरों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए रमजान के दौरान विश्वभर में खजूरों की भारी खपत होती है। समाचारपत्र के अनुसार ब्रिटेन में मुसलमानों के प्रमुख संगठन इस्लामिक एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि इजरायली खजूरों की बिक्री करने वाले देशभर के दुकानों पर धरना दिया जाएगा और उनका बहिष्कार किया जाएगा। इस संगठन ने कहा है कि ब्रिटेन के मुसलमानों ने यह फैसला इजरायल के गाजा पर हमले के विरोध में किया है। इजरायल के इस हमले में अब तक 30 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 70 हजार से अधिक घायल हुए हैं।

अवैध घुसपैठियों की रोकथाम के लिए यूरोप के पांच देशों में संधि

इत्तेमाद (12 मार्च) के अनुसार ब्रिटिश सरकार अपने देश में अवैध रूप से दाखिल होने वाले घुसपैठियों को रोकने में विफल रही है। हाल ही में 400 से अधिक अवैध घुसपैठियों ने इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन में घुसने का प्रयास किया था। इन लोगों ने छोटे-छोटे नावों के जरिए फ्रांस से ब्रिटेन में दाखिल होने का प्रयास किया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि एशियाई घुसपैठियों को ब्रिटेन में दाखिल होने से रोकने के लिए यूरोपीय देशों से समझौता किया

जाए। ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा है कि इस संबंध में हमने फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी के साथ एक समझौता किया है। इन देशों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे उनके देशों में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले एशियाई घुसपैठियों का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ेंगे ताकि भविष्य में ब्रिटेन में अवैध रूप से दाखिल होने वाले घुसपैठियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार मानव तस्करी करने वाले गिरोहों को सख्ती से कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प है और इस संदर्भ में इन देशों की गुप्तचर एजेंसियों और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाने का फैसला किया गया है। समाचारपत्रों के अनुसार ब्रिटेन में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठिए वहां की सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक वर्ष उन पर दस करोड़ पाउंड की विपुल धनराशि खर्च करनी पड़ती है।

मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं को मौत की सजा

सहाफत (6 मार्च) के अनुसार मिस्र की एक अदालत ने देश में हिंसा फैलाने के आरोप में इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के आठ नेताओं को मौत की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त उसके कई अन्य नेताओं को उम्रकैद की सजा दी गई है। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार मिस्र की सरकार ने इस इस्लामी अतिवादी संगठन के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। जिन नेताओं को मौत की सजा दी गई है उनमें इख्वानुल मुस्लिमीन के प्रमुख मोहम्मद बदी और उप प्रमुख महमूद इज्जत भी शामिल हैं। जबकि 37 नेताओं को उम्रकैद, छह नेताओं को 15-15 साल की सजा और 17 नेताओं को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। मिस्री मीडिया के अनुसार इन लोगों को 2013 में इख्वानुल मुस्लिमीन से संबंध रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के पक्ष में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने, अशांति फैलाने और हिंसक गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में सजाएं सुनाई गई हैं।

गौरतलब है कि 2013 में सेना ने इख्वानुल मुस्लिमीन के समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को अपदस्थ करके इख्वानुल मुस्लिमीन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। इसके बाद मिस्र की सत्ता की बागडोर तत्कालीन सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-सिसी ने अपने हाथों में ले ली थी। इसके साथ ही उन्होंने इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी थी और अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुर्सी को जासूसी और देश में अशांति फैलाने के आरोप में उम्रकैद की सजा दी गई थी। जबकि एक अन्य मुकदमे में अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। बाद में जेल में ही मुर्सी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इसके साथ

ही इख्वानुल मुस्लिमीन के 200 से अधिक नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया था।

हमारा समाज (13 मार्च) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने मिस्र की एक अदालत द्वारा इख्वानुल मुस्लिमीन के आठ नेताओं को मौत की सजा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जमात-ए-इस्लामी हिंद और हिंदुस्तान के सभी मुसलमान इस नाजुक घड़ी में इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि इख्वानुल मुस्लिमीन एक शांतिपूर्ण मुस्लिम संगठन है, जो मिस्र में लोकतांत्रिक ढांचे को लागू करने का प्रयास कर रहा था। इस संगठन द्वारा पहली बार मिस्र में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए गए थे और मोहम्मद मुर्सी को राष्ट्रपति पद के लिए मिस्री जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ था। बाद में विदेशी इशारे पर उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इशारे पर मिस्र की सरकार ने इख्वानुल मुस्लीमीन के इन नेताओं को इसलिए अपना निशाना बनाया है, क्योंकि वे फिलिस्तीनी जनता का समर्थन कर रहे थे और अमेरिका व इजरायल की मुस्लिम विरोधी नीतियों का मुकाबला कर रहे थे। हुसैनी ने कहा कि अरब की जनता आज भी इख्वानुल मुस्लिमीन के पक्ष में है और वह वहां की जनता का सबसे लोकप्रिय संगठन है। अमेरिका व इजरायल के इशारे पर मिस्र में इस संगठन को कुचलने का अभियान जारी है और अदालत का यह कथित फैसला इसी का प्रमाण है। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों और मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि वे मिस्री अदालत के इस फैसले की निंदा करें और मिस्र की जेलों में बंद हजारों बेगुनाह लोगों की रिहाई के लिए वहां की सरकार पर दबाव डालें। हुसैनी ने कहा कि इख्वानुल मुस्लिमीन के जिन प्रमुख नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई है उनमें मोहम्मद बदी, महमूद इज्जत, मोहम्मद अल-बेल्टागी, सफवत हेगजी, अम्र जकी, असेम अब्देल माजिद, मोहम्मद अब्देल मकसूद और ओसामा यासीन शामिल हैं।

क्या है इख्वानुल मुस्लिमीन?

इख्वानुल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है, जिसकी शाखाएं सभी अरब देशों में फैली हुई हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन की स्थापना हसन अल-बन्ना ने साल 1928 में की थी। इस संगठन का लक्ष्य शरिया और कुरान के आधार पर मुस्लिम समाज को संगठित करना था। इस संगठन ने मिस्र में ब्रिटिश प्रभाव का विरोध किया और मिस्र के तत्कालीन बादशाह फारूक के खिलाफ अभियान चलाया। इख्वानुल मुस्लिमीन का आरोप था कि फारूक ब्रिटिश कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे मिस्र को ईसाइयत और पश्चिमी संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। 1952 में फारूक को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद सत्ता को लेकर इख्वानुल मुस्लिमीन और सेना के बीच टक्कर हुई। इख्वानुल मुस्लिमीन ने समाजवाद, सेक्युलरिज्म और पैन-अरब आंदोलन का विरोध किया।

1954 में इख्वानुल मुस्लिमीन ने मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर की हत्या का प्रयास किया। इसके बाद नासिर ने इख्वानुल मुस्लिमीन

में सत्ता से अपदस्थ कर दिया। 2012 में मिस्र में हुए चुनाव में उसने फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के साथ समझौता करके मिस्र की पीपुल्स असेंबली की लगभग आधी सीटों पर विजय प्राप्त की और उच्च सदन की 84 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही इख्वानुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए। बाद में सेना और इख्वानुल मुस्लिमीन के बीच मतभेद पैदा हो गए। कहा जाता है कि मोहम्मद मुर्सी ने

को कुचलने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया। इस अभियान के तहत मुस्लिम ब्रदरहुड के बड़े नेता सैयद कुतुब और उनके अन्य सहयोगियों को जेल में बंद कर दिया गया। सैयद कुतुब को इस्लामी आतंकी संगठन अलकायदा और हमास का जनक माना जाता है। 1966 में मिस्र की सरकार ने सैयद कुतुब को फांसी पर लटका दिया। बाद में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इख्वानुल मुस्लिमीन के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इख्वानुल मुस्लिमीन के नेताओं ने यह घोषणा की कि वे भविष्य में हिंसा से दूर रहेंगे और अपना कार्य सामाजिक सुधार तक ही सीमित रखेंगे। 1981 में इख्वानुल मुस्लिमीन से जुड़े एक संगठन अल-जिहाद ने सादात की हत्या कर दी। इसके बाद इख्वानुल मुस्लिमीन ने राजनीति में खुलकर भाग लेना शुरू कर दिया। उसने 1984 में मिस्र में होने वाले चुनावों में भाग लिया और एक राजनीतिक दल वफद पार्टी का समर्थन किया। इस चुनाव में वफद पार्टी ने मिस्री संसद की 450 सीटों में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अतिरिक्त इस संगठन से जुड़े काफी लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते।

इसके बाद मिस्र की राजनीति में इख्वानुल मुस्लिमीन का प्रभाव बढ़ा और उसने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को साल 2011

जमात-अल-इस्लामिया से संबंधित कुछ लोगों को देश के विभिन्न राज्यों का गवर्नर नियुक्त किया था। इस अतिवादी संगठन को 1997 में दर्जनों पर्यटकों की हत्या का दोषी पाया गया था। साल 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-सिसी, जो मुर्सी सरकार में रक्षा मंत्री भी थे के बीच मतभेद उत्पन्न हुए और अब्देल फतह अल-सिसी ने संविधान को भंग करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। इख्वानुल मुस्लिमीन ने इसका विरोध किया और देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिए। सेना ने 1150 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अल-सिसी ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और मुर्सी समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुर्सी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 2019 में मोहम्मद मुर्सी की जेल में ही रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद इख्वानुल मुस्लिमीन में विघटन हो गया और इसके एक वर्ग ने हिंसा का रास्ता अपना लिया। कहा जाता है कि कतर और तुर्किये की सरकार ने इख्वानुल मुस्लिमीन का गुप्त रूप से समर्थन किया और मुस्लिम ब्रदरहुड के अनेक नेताओं को अपने देशों में शरण दी।

साल 2019 में अल-सिसी ने अमेरिका का दौरा किया। इसके बाद अमेरिका ने मुस्लिम

ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं का आरोप है कि अमेरिका के दबाव पर मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी इस इस्लामी संगठन को कुचलने का अभियान चला रहे हैं। हाल ही में तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने मिस्र का दौरा किया था। इस दौरे के बाद तुर्किये की नीति में एक नया मोड़ आया है। तुर्किये सरकार ने तुर्किये में शरण लेने वाले इख्वानुल मुस्लिमीन के नेताओं की नागरिकता रद्द कर दी है। कहा जाता है कि अब ये नेता अन्य अरब देशों में शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं।

ईरान के चुनाव में अतिवादियों को बहुमत

सियासत (5 मार्च) के अनुसार ईरान में संसद और विशेषज्ञों की सभा (असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स) के चुनावों में अतिवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को भारी सफलता मिली है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार एक मार्च को लाखों मतदाताओं ने ईरानी संसद की 290 सीटों और विशेषज्ञों की सभा की 88 सीटों के लिए मतदान किया। ईरान की कुल आठ करोड़ 50 लाख आबादी में से छह करोड़ एक लाख लोग मतदान में हिस्सा लेने के पात्र हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार देश की राजधानी तेहरान में 25 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। जबकि देश भर में 40 प्रतिशत मतदान का दावा किया जा रहा है। इन चुनावों में दो अतिवादी महमूद नबावियन और हामिद रसाई को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इनके बाद सबसे ज्यादा वोट टेलीविजन एंकर अमीर हुसैन सबेती को मिले हैं। वे 35 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुने गए हैं। दूसरी ओर, उदारवादी अखबार हाम मिहान ने कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुए हैं और देश की अधिकांश जनता ने इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि उन्हें चुनाव की पारदर्शिता पर विश्वास नहीं है। गौरतलब है कि 2020 में हुए संसदीय चुनाव में 42 प्रतिशत लोगों ने हिस्सा लिया था, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे कम था।

उदारवादी नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी मतदान में हिस्सा लिया। हालांकि, 24 साल तक सांसद रहने के बाद अब वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

अवधनामा (6 मार्च) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि चुनाव में ईरानी जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। हालांकि, ईरान के दुश्मन पिछले एक साल से यह प्रचार कर रहे थे कि ईरानी जनता चुनाव का बहिष्कार करेगी, मगर जनता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने इस जिहाद में हिस्सा लेने के लिए ईरानी जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इत्तेमाद (4 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईरान की सरकार ने यह दावा किया है कि इन चुनावों में मतदाताओं ने भारी संख्या में मत डाले हैं। जबकि समाचारपत्रों का दावा है कि

जनता ने इन चुनावों में रुचि नहीं ली है। इन चुनावों में संसद की 290 सीटों के लिए 15 हजार 200 उम्मीदवार मैदान में थे। जबकि विशेषज्ञों की सभा की 88 सीटों के लिए 144 उम्मीदवार खड़े हुए थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इन चुनावों से विदेशियों के ईरान विरोधी प्रचार की कलई खुल गई है और ईरान दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ा है।

दूसरी ओर, उदारवादी समाचारपत्रों का दावा है कि इस बार का मतदान प्रतिशत अन्य चुनावों की तुलना में काफी कम रहा है। 2020 में 42 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तब सरकार ने दावा किया था कि इस बार का मतदान प्रतिशत पहले के चुनावों की तुलना में काफी कम है। ईरान की राजधानी तेहरान की 30 सीटों में से 17 सीटों पर अतिवादी विचारधारा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। जबकि तेहरान में मतदान का अनुपात 24 प्रतिशत से भी कम रहा है। ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद वहां पर सर्वोच्च नेता के पद का गठन किया गया था और इस पद पर स्वर्गीय अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी आसीन हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई इस पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर्वोच्च नेता ईरान की सेना का प्रमुख होता है और वह देश की सुरक्षा की भी निगरानी करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और देश के इमामों के साथ-साथ सरकारी टीवी नेटवर्क के प्रमुख की भी नियुक्ति करता है। उसके नियंत्रण में देश की हजारों संस्थाएं भी होती हैं, जिनका बजट अरबों डॉलर होता है।

ईरान में राष्ट्रपति को चार वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है और कोई भी व्यक्ति तीन कार्यकाल के बाद इस पद पर नहीं रह सकता। राष्ट्रपति ईरानी संसद का प्रमुख होता है और वह देश व विदेश नीति को तय करता है, लेकिन उन नीतियों को वीटो करने का अधिकार ईरान के सर्वोच्च नेता के पास होता है। ईरान में सबसे ताकतवर संस्था शूरा-ए-निगहबान (गार्डियन काउंसिल) है। इसे संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। वह संसद के साथ-साथ राष्ट्रपति और विशेषज्ञों की सभा का चुनाव लड़ने से किसी भी व्यक्ति को रोक सकती है। इन चुनावों में सिर्फ वही उम्मीदवार भाग ले सकता है, जिसके बारे में यह राय बने कि वह इस्लामी व्यवस्था और शरिया का वफादार है। ईरान के 275 प्रमुख नेताओं ने हाल के चुनावों का बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्हें इन चुनावों की पारदर्शिता पर संदेह था।

सऊदी सरकार पर इस्लाम विरोधी नीति अपनाने का आरोप

उर्दू टाइम्स (7 मार्च) ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम विरोधी नीति पर चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मस्जिदों में इफ्तार का आयोजन करने पर भी पाबंदी लगा दी है। नमाज और दुआ को भी संक्षिप्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ-साथ बच्चों को मस्जिदों में लाने पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। समाचारपत्र का कहना है कि सऊदी सरकार ने सभी मस्जिदों के इमामों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने खुत्बे (प्रवचन) का प्रारूप सरकार को पेश करें और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद ही वे मस्जिदों में खुत्बा दें।

समाचारपत्र ने कहा है कि रमजान का महीना शुरू होते ही सऊदी सरकार ने मदरसों में इस्लामी गतिविधियों पर अनेक तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। मस्जिदों में लाउडस्पीकरों की संख्या घटाकर चार कर दी गई है। इससे अधिक संख्या

इफ्तार की व्यवस्था के लिए लोग दिल खोलकर धनराशि देते थे। सभी इमामों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रोजा इफ्तार पार्टियों के लिए किसी से दान न लें और वे मस्जिदों में इफ्तार पार्टी का आयोजन करने से बाज आएं। यदि ऐसा करना जरूरी हो तो वे इसका आयोजन मस्जिदों के बाहर निर्धारित स्थानों

में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। इन लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल केवल अजान के लिए ही किया जा सकेगा और तरावीह के सीधा प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। एतराफ के लिए मस्जिदों में बैठने वाले लोगों को तभी दाखिला दिया जाएगा जब वे अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि निश्चित रूप से इसके कारण आम लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि लोग एतराफ के लिए परंपरागत रूप से मस्जिदों में आते हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी अरब का अनुसरण करते हुए ट्यूनीशिया की सरकार ने भी मस्जिदों पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। सऊदी जनता को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे मस्जिदों में अपने बच्चों को लेकर न आएं। गौरतलब है कि इससे पहले यह पाबंदी रूस में लगाई गई थी। इसका लक्ष्य यह था कि बच्चों को इस्लाम से दूर रखा जाए ताकि वे बड़े होकर इस्लामी शिक्षा और शरिया का अनुसरण न करें। सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने सभी इमामों को यह निर्देश दिया है कि वे नमाज और दुआ को संक्षिप्त रूप में ही पढ़ाएं। इसके अतिरिक्त मदरसों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी नागरिक से चंदा की वसूली न करें।

गौरतलब है कि अभी तक सऊदी अरब में नमाजियों के खाने-पीने और रोजा तोड़ने हेतु

पर कर सकते हैं। नमाज और इस्लाम से संबंधित अन्य गतिविधियों की वीडियोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से इस्लाम व शरिया विरोधी फैसले लिए हैं उसे देखते हुए यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोई इस्लामी देश कैसे इस तरह की नीति का निर्धारण कर सकता है। इससे साफ है कि सऊदी युवराज अमेरिका के इशारे पर इस्लाम विरोधी नीतियां अपनाकर मुसलमानों को इस्लाम और शरिया से दूर कर रहे हैं। इससे पहले भी सऊदी युवराज शरिया को नजरअंदाज करके देश में पहली बार सिनेमा हॉल स्थापित करने और उनमें फिल्में दिखाने की अनुमति दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने राजधानी रियाद में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी है। इस्लाम में संगीत को हराम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और संगीतकारों को सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति दे दी है।

कौमी तंजीम (9 मार्च) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार सऊदी सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने महिलाओं को इसकी खुली छूट दे दी है कि वे पश्चिमी वेशभूषा को पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर जा सकती हैं। समाचारपत्र का कहना है कि 25 फरवरी को ग्लोब आई न्यूज ने यह दावा किया था कि सऊदी

युवराज ने एक फरमान में कहा है कि सऊदी महिलाओं पर इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे कोई खास लिबास ही पहनें। वे अपनी पसंद का लिबास पहन सकती हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब की महिलाएं बिना बुर्का पहने सार्वजनिक स्थानों और मॉल्स आदि में दाखिल नहीं हो सकती थीं। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने 19 मार्च 2018 को सीबीएस न्यूज को दिए अपने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि शरिया में महिलाओं को सिर्फ यह निर्देश दिया गया है कि वे सभ्य लिबास पहनें और उसमें इस बात का कोई निर्देश नहीं है कि वे काले रंग का बुर्का, अबाया या स्कार्फ का इस्तेमाल करें।

समाचारपत्र का कहना है कि सऊदी अरब में अब भी शरिया को लागू करने का जिम्मा धार्मिक पुलिस पर है। हालांकि, यह संगठन अभी मौजूद है, लेकिन उसे यह निर्देश दिया गया है कि वह जनता की गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। इससे पहले शरिया का उल्लंघन करने वाले पुरुषों और महिलाओं को इस संगठन से संबंधित अधिकारी गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज सकते थे। इसके बाद उन्हें मजहबी अदालतों में पेश किया जाता था और अदालत उन्हें शरिया का उल्लंघन करने के आरोप में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा देती थी। इसके बाद उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाता था। यहां पर उन्हें कम-से-कम छह महीने बिताने होते थे। समाचारपत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि सऊदी महिलाओं को पहली बार वाहन चलाने की अनुमति दी गई है, मगर उन्हें अकेले यात्रा करने की अनुमति अभी भी नहीं है।

सूडान में रमजान के दौरान युद्धविराम की घोषणा

सियासत (11 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान में रमजान के मौके पर युद्धविराम से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूर किया है। यह प्रस्ताव ब्रिटेन द्वारा पेश किया गया था। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जबकि रूस ने इससे परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप प्रतिनिधि ने कहा कि हम पश्चिमी देशों के इरादों को अच्छी तरह से जानते हैं। एक ओर तो वे गाजा में युद्धविराम के सवाल पर आंखें बंद किए हुए हैं। जबकि वहां पर 30 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर, उन्होंने सूडान में युद्धविराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। रूसी प्रतिनिधि ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि अमेरिका ने गाजा में युद्धविराम के प्रस्ताव को तीन बार वीटो करके इस मामले को खटाई में डाल दिया है। रूसी प्रतिनिधि ने कहा है कि सूडान की जनता को अपने विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए और विदेशी ताकतों को इसमें हस्तक्षेप करने का मौका नहीं देना चाहिए।

रोजनामा सहारा (9 मार्च) के अनुसार सूडान में पिछले नौ महीने से गृहयुद्ध जारी है। अब ऐसा लग रहा है कि सूडानी सेना प्रमुख

जनरल अब्दुल फतह अल-बुरहान की स्थिति कमजोर हो रही है और उनके प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो की स्थिति दिन-प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। हाल ही में उन्होंने अनेक देशों का दौरा किया है। हालांकि, सूडानी जनता के संगठन इस बात का निरंतर दबाव डाल रहे हैं कि सूडान में लोकतंत्र को बहाल किया जाए। दगालो का यह प्रयास है कि सत्ता सेना के हाथ में बनी रहे। उन्होंने पूर्वी अफ्रीकी देशों के संगठन इंटरगवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट के माध्यम से सेना प्रमुख अल-बुरहान से समझौते का प्रयास किया था, मगर अल-बुरहान ने युद्धविराम और समझौते के प्रयास को यह कहकर ठुकरा दिया कि सूडान में जो गृहयुद्ध चल रहा है वह हमारा आंतरिक मामला है और हम इस मामले में विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में दगालो ने युगांडा का भी दौरा किया था।

समाचारपत्र का कहना है कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि सेना प्रमुख जनरल अल-बुरहान विश्व मंच पर अकेले पड़ते जा रहे हैं। सूडान में नौ महीने से चल रहे गृहयुद्ध के कारण अब तक 13 हजार लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 70 लाख लोगों को इस गृहयुद्ध के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। गृहयुद्ध के कारण सूडान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इस बात का भी आरोप लगाया जा रहा है कि सेना और आरएसएफ आम जनता का उत्पीड़न करके उनकी हत्या कर रही हैं। हाल ही में ईरान ने सूडान सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह लाल सागर में हूतियों की गतिविधियों का समर्थन करे, मगर सूडान सरकार के गृहयुद्ध में उलझे होने के कारण वह इस संबंध में कोई फैसला नहीं कर पाई है। सूडान में कोई भी पक्ष इस स्थिति में नहीं है कि वह अमेरिका और इजरायल को नाराज करे। अमेरिका का यह प्रयास है कि सूडान में युद्धविराम हो। अमेरिका और सऊदी अरब का यह प्रयास है कि जनरल अल-बुरहान और जनरल दगालो पर दबाव डालकर समझौता करवाया जाए। सूडान में अप्रैल 2023 से गृहयुद्ध जारी है। दोनों पक्षों के बीच अनेक बार समझौता करवाने का प्रयास हुआ है, मगर उसमें सफलता नहीं मिली है। इस गृहयुद्ध के कारण तुर्किये, लेबनान और इथियोपिया ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सूडान के शरणार्थी इन देशों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं।

नाइजीरिया में बोको हराम द्वारा सैकड़ों विद्यार्थियों का अपहरण

सहाफत (9 मार्च) के अनुसार नाइजीरिया में इस्लामी आतंकी संगठन बोको हराम ने 100 से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों का अपहरण कर लिया है। यह घटना नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित कुरिगा नगर की है। बताया जाता है कि बोको हराम से संबंधित लगभग दो दर्जन आतंकी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक स्थानीय स्कूल में घुसे। ये आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस थे। इसके अतिरिक्त इन आतंकियों ने कैमरून की सीमा के नजदीक स्थित नगाला के एक शरणार्थी शिविर पर धावा बोलकर वहां से लगभग 200 महिलाओं और लड़कियों का अपहरण कर लिया है।

अवधनामा (9 मार्च) के अनुसार पिछले एक सप्ताह में विद्यार्थियों के अपहरण की यह दूसरी बड़ी घटना है। उत्तरी नाइजीरिया में 2014 से ये आतंकी सक्रिय हैं और वे अब तक हजारों युवकों और लड़कियों का अपहरण कर चुके हैं। बंधक बनाए गए लोगों की मुक्ति के लिए यह आतंकी संगठन बंधकों के परिजनों से भारी धनराशि वसूल करता है। कडुना के गवर्नर ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद इस बात की पुष्टि की है कि स्कूल से अपहरण किए गए विद्यार्थियों की संख्या 300 से भी अधिक है। इनमें से अधिकांश लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि हम हर बच्चे को वापस लाएंगे। नाइजरीरिया की सेना इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि पिछले एक साल से नाइजीरिया में गृहयुद्ध चल रहा है। अल-शबाब नामक आतंकी संगठन से संबंधित बोको हराम ने नाइजीरिया के उत्तरी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा रखा है। इसे मुक्त कराने के लिए सेना पिछले एक साल से प्रयास कर रही है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने मीडिया को यह आश्वासन दिया है कि सेना आतंकियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ने जा रही है। उन्होंने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र से सहायता की भी मांग की है।

अखबार-ए-मशरिक (12 मार्च) ने कहा है कि हालांकि अफ्रीका में इस्लाम का तेजी से प्रसार हो रहा है और इसके अनेक देशों में ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है। जिन देशों में मुसलमान बहुमत में हैं

उनमें से अधिकांश देश राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध और आतंकवाद के शिकार हैं। सूडान, चाड, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली आदि मुस्लिम बहुल देशों में गृहयुद्ध की ज्वाला भड़की हुई है। इस गृहयुद्ध के कारण हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। इस महीने की शुरुआत में आईएसआईएस और अलकायदा द्वारा बुर्किना फासो में एक चर्च पर हमला किया गया था। इस हमले में 25 ईसाई मारे गए और कई दर्जन घायल हो गए। यह हमला उस समय किया गया जब चर्च में सामूहिक प्रार्थना की जा रही थी। बुर्किना फासो में मुस्लिम जनसंख्या 63 प्रतिशत और माली में 95 प्रतिशत है। इसके बावजूद ये आतंकी संगठन शरिया पर आधारित हुकूमत स्थापित करने की आड़ में वहां के निर्दोष लोगों के खून से होली खेल रहे हैं। आतंकियों ने बुर्किना फासो के एक तिहाई क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।

समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि आईएसआईएस और अलकायदा जैसे सुन्नी आतंकी संगठन शिया मुसलमानों के खून की होली खेल रहे हैं, क्योंकि वे उन्हे काफिर मानते हैं। माली में भी ये दोनों आतंकी संगठन सक्रिय हैं। वे वहां पर मुसलमानों और ईसाइयों को अपना निशाना बना रहे हैं। बुर्किना फासो में सेना के विभिन्न गुट पिछले एक साल में तीन बार सरकार का तख्ता पलट चुके हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के सख्त रूख के कारण आईएसआईएस को वहां से बोरिया-बिस्तर बांधकर अफ्रीका में डेरा डालना पड़ा था। तब इन आतंकी संगठनों ने यह दावा किया था कि वे अफ्रीका में काफिरों को सत्ता से हटाकर इस्लामी खिलाफत और शरिया पर आधारित हुकूमत को स्थापित करेंगे।

नाइजीरिया भी एक मुस्लिम बहुल देश है। यहां पर 2010 से बोको हराम ने जनता का जीना दूभर कर रखा है। बोको हराम का अर्थ है, 'पश्चिमी शिक्षा हराम'। इस इस्लामी आतंकी संगठन के अनुसार इस देश की शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जा रही है वह इस्लाम के अनुरूप नहीं है, इसलिए शिक्षा पूरी तरह से शरिया पर आधारित होनी चाहिए। बोको हराम अब तक 40 हजार से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है। अमेरिका के सहयोग से नाइजीरिया की सरकार ने इन आतंकियों के खिलाफ जो सैन्य अभियान छेड़ा था उसके कारण बोको हराम की ताकत में कमी आई है। वहीं, नाइजर एक छोटा सा देश है। यहां पर शत प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। नाइजर को 1960 में स्वतंत्रता मिली थी। तब से लेकर अब तक वहां पर 20 बार सैन्य क्रांति हो चुकी है। जबकि सूडान में तीन दशक से सेना ने सत्ता पर कब्जा कर रखा है। जनाक्रोश को दबाने के लिए सेना वहां पर अब तक तीन-चार लाख लोगों की हत्या कर चुकी है। अफ्रीका में इस्लामी खिलाफत की स्थापना के नाम पर कुछ आतंकी संगठन तबाही मचा रहे हैं। इन मुस्लिम देशों में दशकों से सत्ता पर सेना ने कब्जा कर रखा है। इसके कारण मुसलमान शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। अफ्रीकी मुसलमानों की इस बदहाली के लिए आईएसआईएस, अलकायदा और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन जिम्मेदार हैं। ये संगठन यह नहीं चाहते कि मुसलमान आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें।

ईरान में पिछले एक साल में 800 से अधिक लोगों को फांसी

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 मार्च) के अनुसार मानवाधिकार संगठनों ने यह दावा किया है कि पिछले एक साल में ईरान में कम-से-कम 834 लोगों को मौत की सजा दी गई है, जो 2015 के बाद से सबसे अधिक संख्या है। ईरान में जिस तरह से लोगों को मौत की सजा दी जा रही है उस पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार कार्यकर्ता चिंता प्रकट कर चुके हैं। ईरान सरकार ने कहा है कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और जासूसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना उनका कर्तव्य है। दूसरी ओर, नॉर्वे की एक संस्था टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान में 2022 की तुलना में 2023 में दी जाने वाली फांसी की सजा की संख्या में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पहले 2015 में ईरान में सबसे ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई थी। सरकार ने इनकी संख्या 972 बताई थी।

इस संगठन ने यह आरोप लगाया है कि सितंबर 2022 में एक कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का जो सिलसिला शुरू हुआ था उससे सरकार बौखला गई है और वह लोगों को अंधाधुंध फांसी देकर भयभीत करना चाहती है। इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2023 में 471 लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को यह सजा दी गई है उनमें से अधिकांश बलूच है, जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जबकि ईरान की सरकार शिया है। पिछले साल मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जिन लोगों को फांसी पर लटकाया गया था उनमें से 167 लोग सुन्नी संप्रदाय से थे। आम तौर पर ईरान में जेलों के अंदर लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था, मगर पिछले साल से ईरान सरकार ने चौराहों और मस्जिदों के पास आरोपियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाने का नया सिलसिला शुरू किया है। हैरानी की बात यह है कि जिन आरोपियों को सजा दी गई उनमें 22 महिलाएं भी थीं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि विश्वभर में सबसे ज्यादा मौत की सजा चीन में दी जाती है। जबकि ईरान इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इस साल अब तक ईरान में 83 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है।

सियासत (11 मार्च) के अनुसार ईरान में जश्न-ए-नौरोज (नव वर्ष) मनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन महिलाओं को तेहरान से गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने यह आरोप लगाया है कि इन महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करके शरिया के खिलाफ काम किया है और सामाजिक परंपराओं को तोड़ा है। सरकार ने इन महिलाओं को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

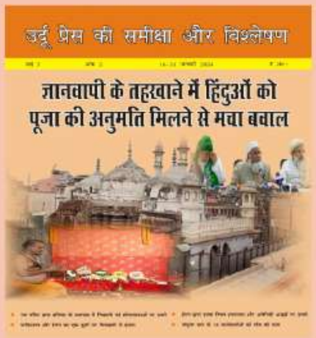

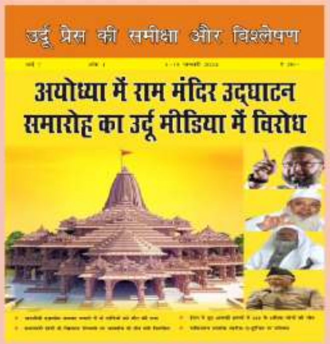

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in